Director, Infonct

राज्यपाल सचिवालय राजभवन, जयपुर

प्रेषिति :

प्रेषक :

सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर। कुलगुरू, 🕻

राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(२)आर.बी. / २०२१पार्ट-२ /५८०구

दिनांक:01/09/2025

विषय :- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र क्रमांक ई—6170/जी.एस दिनांक 27.08.2025 बाबत "आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में" की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप सचिव राज्यपाल, राजस्थान

## राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ–226027

संख्या : ई- 6170/ जी०एस० विनांक : अगस्त 27 2025

प्रेषक.

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०) एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-6067 / जी०एस०, दिनांक अगस्त 26. 2025 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे. यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपन प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।

ं ( डॉ० सुँधीर एम० बोबडे ) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

## आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.) के कुलपित पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6067 / 2025

दिनाक : अगस्त 26 2025

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एव प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय अवध्या (उ०५०). जो कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 वं, अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा—11(1) के अधीन गठित समिति के द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदमार ग्रहण करने के दिनांक स 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शंक्षणिक अधिकारी होता है. इसिनये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्टा, नैतिकता एवं संस्थानत प्रधानवद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 29.09.2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

## NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR ACHARYA NARENDRA DEVA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY, AYODHYA (U.P.)

Advt. No. E-6067/2025

Dated: August 26, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Ayodhya (U.P.), established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 11(1) of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Agriculture Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 29.09.2025 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,

Uttar Pradesh.